


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।


संवेदकों के लिए निबंधन से संबंधित आम सूचना

एतद् द्वारा अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत दिनांक 12.06.2018 के पूर्व सभी श्रेणियों के निबंधित संवेदकों को अन्तिम रूप से दिनांक-10.11.2019 तक अपने-अपने निबंधन को प्रवासित (Migrate) कराने का निदेश विभागीय ज्ञापांक-7746 दिनांक-05.11.2019 के द्वारा दिया गया था। परन्तु उक्त तिथि तक जिन संवेदकों द्वारा अपने-अपने निबंधन को प्रवासित (Migrate) नहीं कराया गया है उन्हें विभागीय कार्यालय आदेश दिनांक 376 सह पठित ज्ञापांक 8246 अनु० दिनांक 28.11.2019 के तहत निलंबित कर दिया गया। उक्त तिथि के बाद कुछ संवेदकों द्वारा अभ्यावेदन के माध्यम से अपने-अपने निबंधन को प्रवासित (Migrate) कराने के लिए अनुरोध किया गया। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 15 सह पठित ज्ञापांक 540 दिनांक 23.01.2020 द्वारा निबंधन के प्रवासन (Migration) कराने की अन्तिम तिथि 31.03.2020 तक निर्धारित की गयी थी परन्तु कुछ संवेदकों द्वारा अपने निबंधन का प्रवासन नहीं करने के कारण पुनः विभागीय ज्ञापांक 1876 दिनांक 30.03.2020 द्वारा दिनांक 30.04.2020 तक, विभागीय ज्ञापांक 2114 दिनांक 06.05.2020 द्वारा 30.06.2020 तक एवं विभागीय ज्ञापांक 3593 दिनांक 06.08.2020 द्वारा 30.09.2020 तक निबंधन के प्रवासन की तिथि निर्धारित की गयी थी फिर भी कुछ संवेदकों द्वारा अपने निबंधन का प्रवासन अभी तक नहीं किया गया है। वर्तमान में भी महामारी (कोरोना वायरस) की स्थिति बनी हुई है।


अतएव शेष सभी ऐसे संवेदक, जो अपने-अपने निबंधन का प्रवासन (Migration) अभी तक नहीं कराये हैं, वे वांछित कागजात सहित अपने-अपने निबंधन का प्रवासन (Migration) दिनांक 31.01.2021 तक शीघ्र करा लें, अन्यथा समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् शेष निलंबित संवेदकों का निबंधन रद्द कर दिया जायेगा जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।


(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-14/अ०प्र०-01-99/2014 5166 /पटना, दिनांक 10/11/2020
प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु०), ग्रामीण कार्य विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ०प्र०-01-99/2014 5166 /पटना, दिनांक 10/11/2020
प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख